रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228199
CG-DL-E-09072021-228199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
No. 2560] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

**का.आ. 2765(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ.सं. 3026 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा बिहार राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाघ रिज़र्व के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया;

**और,** बिहार सरकार ने अपने पत्र सं. वन्यजीव-235, तारीख 27.04.2021 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संशोधन के लिए अनुरोध किया;

**और,** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार सरकार के अनुरोध की जांच की है;

**अतः अब,** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 4 में, शीर्षक "क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप" के अधीन, सारणी में क्रमांक संख्या 1, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

| क्र. सं. | क्रियाकलाप | विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप | |
| " 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां। | (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी।<br>(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त ,2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।"। |

(ii) पैरा 6 के, उप-पैरा (1) में, "राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए", शब्दों के स्थान पर "अगले आदेश होने तक, परंतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/197/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3026 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2021

**S.O. 2765(E).—WHEREAS,** by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India vide number S.O. 3026(E), dated the 13th September 2017, the Central Government notified an Eco-sensitive Zone (ESZ) surrounding the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve in the State of Bihar;

**AND WHEREAS**, the Government of Bihar *vide* its letter no. Wildlife-235, dated 27.04.2021 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for an amendment;

**AND WHEREAS**, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have examined the request of the Government of Bihar;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely: -

In the said notification,-

(i) in paragraph 4, in the TABLE, under the heading "A. Prohibited Activities", for serial number 1, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| Sl. No. | Activity | Description |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **A. Prohibited Activities** | | |
| " 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone.<br>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.". |

(ii) in paragraph 6, in sub-paragraph (1), for the words "for a period of three years from the date of publication of this notification in Official Gazette", the words "till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time" shall be substituted.

[F. No. 25/197/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist "G"

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3026 (E), dated the 13th, September 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.09 20:28:49 +05'30'